

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठारानी अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-72/2020 (2020/00193)

दर्ज दिनांक 20.07.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र वंशीलाल वड़वा निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
2. हीरालाल पुत्र वंशीलाल वड़वा निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
3. मंजु देवी पुत्री वंशीलाल वड़वा निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

वनाम

1. रामेश्वर लाल पुत्र देवीलाल वड़वा निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
2. माधुलाल पुत्र शंकरलाल वड़वा निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
3. रतनलाल पुत्र जगदीशचन्द्र वड़वा निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
4. सत्यनारायण पुत्र जगदीशचन्द्र वड़वा निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
5. सम्पत पुत्र जगदीशचन्द्र वड़वा निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
6. पुजा पुत्री जगदीशचन्द्र वड़वा निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
7. जमनालाल पुत्र नानुराम वड़वा निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
8. शंकर लाल पुत्र मोहन लाल वड़वा निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
9. नारायण पुत्र मोहन लाल वड़वा निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
10. जससुलाल पुत्र नानुराम वड़वा निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
11. सीमा पत्नी लालाराम वड़वा निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा

—विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री कन्हैयालाल चौधरी



1.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-24.08.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम लखमणिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा की वैरून हल्का आवादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1696 रकवा 0.16 हे0, 1699 रकवा 0.31 हे0, 1709 रकवा 0.47 हे0, 1718 रकवा 0.46 हे0 कुल कित्ता 04 रकवा 1.40 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 302 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इरतदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 11 वावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। एवं विपक्षी संख्या 12 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

वाद सुनवाई गैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम लखमणिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा की वैरून हल्का आवादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1696 रकवा 0.16 हे0, 1699 रकवा 0.31 हे0, 1709 रकवा 0.47 हे0, 1718 रकवा 0.46 हे0 कुल कित्ता 04 रकवा 1.40 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 302 पर स्थित हैं। भूमियों का वसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं।

उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 550/- (पांच सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 550/- (पांच सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास अधिकारी)
उपलैण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला
गंगापुर(गोलवाडा)